वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2006–2007

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2006–2007

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

मंत्रालय

माननीय मंत्री	–	श्री राघव जी	–	8.12.2003 से निरंतर
अपर मुख्य सचिव	–	श्री अमर सिंह	–	25.5.2005 से 1.2.2006
अपर मुख्य सचिव	–	श्री विनोद चौधरी	–	31.5.2006 से 25.8.2006
सचिव	–	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	–	31.1.2006 से 3.6.2006
सचिव	–	श्री मनोज झालानी	–	25.8.2006 से निरंतर
अपर सचिव	–	श्री रधुवीर श्रीवास्तव	–	3.4.2006 से 31.7.2006
उप सचिव	–	श्री ए. के. श्रीवास्तव	–	14.7.2005 से 19.5.2006
उप सचिव	–	श्री डी. पी. अहिरवार	–	29.7.2006 से निरंतर
वरिष्ठ शोध अधिकारी	–	श्री आर. के. दीक्षित	–	4.9.2002 से निरंतर
अवर सचिव	–	श्री आर. के. चौकसे	–	14.2.2006 से 30.10.2006
अवर सचिव	–	श्री एम. एल. करयाम	–	30.10.2006 से निरंतर

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय – 1	– योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01
अध्याय – 2	– राज्य योजना मण्डल	07
अध्याय – 3	– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	19
परिशिष्ट– एक	– राज्य योजना मण्डल का स्वरूप	45
परिशिष्ट– दो	– राज्य योजना मण्डल के स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण	46
परिशिष्ट– तीन	– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय एवं मुख्यालय, जिला स्तर एवं अन्य विभागों में पदस्थ अमले का विवरण	47
परिशिष्ट– चार	– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण	49

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

अध्याय–1

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां, निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती है :

1. राज्य योजना मंडल
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

2. विभागाध्यक्ष –

(1) राज्य योजना मंडल –

राज्य योजना मंडल, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं । राज्य योजना मंडल में एक उपाध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हैं ।

(2) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय –

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजनाएं बनाने, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना है ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।

6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित स्वरूप का योजना मंडल में संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।
9. योजना मंडल से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
13. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर संगणक केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
14. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।

4. विभाग के अंतर्गत प्रचलित अधिनियम तथा नियम –

1. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
2. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
3. मध्य प्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
4. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995
5. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1999
6. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953
7. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं
8. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999

5. विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल सेवा ।
2. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा ।

6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2006–2007 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(लाख रूपयों में)

क्र.	कार्यालय	स्वीकृत बजट प्रावधान 2005–2006	पुनरीक्षित अनुमान 2006–2007	वास्तविक व्यय (31–12–06 की स्थिति)	प्रस्तावित बजट 2007–2008
1	2	3	4	5	6
1.	**राज्य योजना मंडल**				
	(अ) राज्य योजना मंडल	183.95	188.35	113.23	203.25
	(ब) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	13860.00	18480.00	7950.00	18480.00
	(स) जनभागीदारी योजना	4926.09	5636.00	2881.00	7097.00
2.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी**	1994.02	2573.63	1136.229	2181.30
	(भारित)	0.10	0.10	0.10	0.10
	महायोग	**20964.16**	**26878.08**	**12080.559**	**27961.65**

विस्तृत विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्य–कलापों की टीप के साथ दिया गया है ।

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण –

विभाग के अंतर्गत कोई अन्य संस्थाएं कार्यरत नहीं हैं ।

राज्य योजना मंडल

अध्याय–2

(1) राज्य योजना मण्डल

विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास, राज्य संसाधनों के मूल्यांकन एवं उनका प्रभावी उपयोग सामाजिक, आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24–10–1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया । वर्ष 1979–80 में इसके स्वरूप में आंशिक संशोधन हुआ । कालान्तर में 5 मार्च 1994 के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर राज्य योजना मण्डल का पुनर्गठन किया गया तथा दिनांक 31–1–1997 के द्वारा इसका स्वरूप निर्धारित किया गया जो, वर्तमान में प्रभावशील है ।

पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, एवं उपाध्यक्ष पद मंत्री स्तर का है, इसके अतिरिक्त अंशकालीन सदस्य मनोनीत किये जाते हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र के अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ होते हैं । (**परिशिष्ट**–एक)

राज्य योजना मंडल में प्रथम श्रेणी के 5 पद, द्वितीय श्रेणी के 6 पद, तृतीय श्रेणी के 39 एवं चतुर्थ श्रेणी के 20 पद स्वीकृत है । जिसमें द्वितीय श्रेणी का 1, तृतीय श्रेणी के 5 पद रिक्त है शेष पद भरे हुए हैं । मुख्यालय राज्य योजना मण्डल कार्यालय भोपाल में स्वीकृत प्रशासकीय अमला/पदस्थापना की जानकारी (**परिशिष्ट**–दो) में दर्शायी गई है ।

2. राज्य योजना मण्डल के दायित्व

(1) राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिये योजनाएं बनाना ।

(2) जिला योजना अधिकारियों को जिला योजनाएं तैयार करने में सहायता करना, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रूप से राज्य योजना ढांचे में सम्मिलित किया जा सके ।

(3) राज्य के समाजार्थिक विकास की रूकावटों के कारणों को ज्ञात करना और राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु उपाय सुझाना ।

(4) योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में समायोजनों की अनुशंसा करना ।

(5) योजना की प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।

3. विभागीय पदोन्नति

राज्य योजना मण्डल का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है । मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत् पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति की कार्यवाही की गई है ।

4. विभागीय जांच

राज्य योजना मण्डल में किसी भी श्रेणी का, विभागीय जांच प्रकरण लंबित नहीं है ।

5. नियुक्ति/स्थानांतरण

राज्य योजना मण्डल स्तर पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के **निर्देशों** के तहत बैकलाग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भरती एवं पदोन्नति से की गई है ।

6. न्यायालयीन प्रकरण

राज्य योजना मण्डल में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने या अन्य कार्यवाही के लिये कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

7. संसदीय कार्य/विधि विषयक

दिनांक 31/12/2006 की स्थिति में कोई विधेयक, शून्य कालीन लंबित नहीं है । 48 प्रश्नों के उत्तर प्रेषित किये गये जिनमें 23 तारांकित तथा 25 अतारांकित थे ।

8. वेबसाईट

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर राज्य योजना मण्डल की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है । विभाग की वेबसाईट का address : http://www.mp.nic.in/planning है ।

9. जिला योजना समिति

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 प्रभावशील होने के पश्चात प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन किया गया । सभी जिलों में जिला योजना समितियां, गठित हैं । जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख जिला योजना अधिकारी/जिला सांख्यिकी अधिकारी कलेक्टर के नियत्रंण में कार्यरत है ।

10. राज्य योजना मण्डल के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

(1) राज्य योजना प्रस्ताव तैयार करना

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007 के लिये प्रसारित दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित लक्ष्यों/प्राथमिकताओं एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) का प्रतिवेदन तैयार किया गया । इसमें मुख्य प्राथमिकता कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई क्षमता का विस्तार, विद्युत क्षेत्र की मांग एवं पूर्ति में समतुल्यता लाना, जनसामान्य के लिये आधारभूत सामाजिक सेवाओं–शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अधोसंरचना विकास, शिशुमृत्यु दर में कमी लाना, विक्रेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का विस्तार करना, महिलाओं एवं कमजोर वर्गो के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है । शिक्षा गारन्टी योजना के द्वारा शिक्षा के लोकव्यापीकरण की पहल कर उसके विस्तार एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, जनभागीदारी योजना के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया । इस हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07, रूपये 25737.25 करोड़ की निर्धारित की गई थी । वार्षिक योजना 2005–06 हेतु रूपये 7471 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वार्षिक योजना 2005–06 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिये रूपये 2408 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है । वार्षिक योजना 2006–07 के लिये रूपये 9020 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वार्षिक योजना 2006–07 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिये रूपये 3095 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है जो कुल योजना परिव्यय का 34.31 प्रतिशत है ।

राज्य योजना मण्डल द्वारा भारत सरकार योजना आयोग के एप्रोच पेपर के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2007–08 के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं । विभागों से हुई चर्चा एवं वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12, रूपये 69338.00 करोड़ एवं वार्षिक योजना 2007–08 के लिये रूपये 11561.00 करोड़ की बनाई जा रही है ।

(2) राज्य योजना की समीक्षा

राज्य योजना मण्डल का एक महत्वपूर्ण कार्य योजना कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करना है । वार्षिक योजना 2005–06 एवं 2006–07 की समीक्षा की जा चुकी है । योजना आयोग के प्रमुख सलाहकार (प्रभारी मध्यप्रदेश) द्वारा वर्ष 2006–07 की अर्द्धवार्षिकी समीक्षा भी की जा चुकी है ।

(1) जिला योजना

वर्तमान नियोजन प्रणाली में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के अंतर्गत विकास गतिविधियों में पूंजी निवेश के नियोजन का कार्य केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ही सम्पादित होता है एवं राज्य स्तर के नीचे नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित नहीं हो

सकी है । प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन तंत्र को जिला एवं निचले स्तर तक विकसित करने हेतु जिला योजना समितियों का गठन किया गया है, जो ग्रामीण (पंचायत) एवं शहरी (नगरीय निकायों) क्षेत्र की योजना को समेकित कर जिले की समग्र विकास की योजना तैयार करेगी । इसके अतिरिक्त, राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं से भी सह संबंध स्थापित कर, जिले की वार्षिक योजना तैयार की जाकर उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की जायेगी । इस हेतु जिला योजना मार्गदर्शिका बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जिला एवं निचले स्तर से नियोजन प्रणाली, कार्य व्यवस्था, दीर्घकालीन विकास योजना, पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तथा वित्तीय सहायता एवं बजट प्रावधान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2002–03 से जिला स्तर पर योजना तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार समीक्षा की जाती है । राज्य योजना मण्डल के मार्गदर्शन में समस्त जिलों की जिलेवार योजना वर्ष 2006–07 तैयार की गई । जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर विभिन्न कार्यकारी दलों से तथा बाद में उपाध्यक्ष, राज्य योजना से चर्चा उपरांत जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है । दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश की वार्षिक योजना 2002–03 में जिला योजना हेतु रूपये 1600.00 करोड़, 2003–04 में रूपये 1633.60 करोड़, वार्षिक योजना 2004–05 के लिये रूपये 2029.84 करोड़, वर्ष 2005–06 के लिए रूपये 2408.46 करोड़ एवं वर्ष 2006–07 के लिये 3095.00 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई ।

2) जिला योजना समिति

संविधान के 73वें संशोंधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है । जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद–243 य घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है । समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे । जिलाध्यक्ष, समिति के सदस्य सचिव हैं । इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं । जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियां गठित कर सकेंगी । विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उप समितियां उन क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यो/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मानीटरिंग करने के साथ–साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी । जिला योजना समितियों के निम्नलिखित कृत्य हैं :–

(1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना ।

(2) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिये ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं विकासखण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना ।

(3) ग्राम, खण्ड तथा जिलास्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना ।

(4) उपलब्ध प्राकृतिक /मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय संगत उपयोग/विदोहन करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना ।

(5) पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

(6) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना ।

(7) जिले की योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना ।

(8) जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना।

(9) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अन्तर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों /कार्यक्रमों, जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमो (योजनाओं) और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं, की प्रगति को मॉनीटर करना, उनका मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन करना।

(10) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के सम्बन्ध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

(11) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्त पोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से संबद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनियोजन अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे ।

(12) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना।

(13) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले राज्य सेक्टर की स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना।

(14) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जाऐं ।

भाग–2

1. बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)– (दिसम्बर 2006 की स्थिति में)

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट प्रावधान 2006–07	पुनरीक्षित अनुमान 2006–07	वास्तविक व्यय 31–12–06	बजट प्रावधान 2007–08 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या–31– शीर्ष–3451					
1. राज्य योजना मण्डल					
(अ) आयोजनेत्तर		157.45	161.85	92.00	190.25
(ब) आयोजना		26.50	26.50	21.23	13.00
योग–1 (अ+ब)		183.95	188.35	113.23	203.25
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र –शीर्ष –4515					
मांग संख्या–60 आयोजना		9360.00	12480.00	5157.00	12480.00
मांग संख्या–41 आयोजना		2460.00	3280.00	1522.00	3280.00
मांग संख्या–64 आयोजना		2040.00	2720.00	1271.00	2720.00
योग (2)		**13860.00**	**18480.00**	**7950.00**	**18480.00**
3 जनभागीदारी योजना –शीर्ष –4515					
मांग संख्या–60 आयोजना		2878.41	3269.00	1861.00	3997.00
मांग संख्या–41 आयोजना		1493.00	1716.00	802.00	2227.00
मांग संख्या–64 आयोजना		554.68	651.00	218.00	873.00
योग (3)		4926.09	5636.00	2881.00	7097.00
महायोग (1+2+3)		18970.04	24304.35	10944.23	25780.25

भाग–3

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :

(अ) राज्य योजनाएं :

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने –अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रूपये 20 लाख की लागत के पूंजीगत प्रकृति के निर्माण कार्य अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–02 में प्रति विधान सभा क्षेत्रवार राशि 20.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 40.00 लाख रूपये की गई, तथा वर्ष 2005–06 में 60.00 लाख रूपये , एवं वर्ष 2006–07 में राशि पुनः बढ़ाकर 80.00 लाख रूपये की गई । वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण नीचे दिया गया है ।

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)
(राशि करोड़ रूपये में एवं कार्य संख्या में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6
2005–06	138.60	12081	8162	3437	482
2006–07	184.80	8153	1661	3912	2580

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत :

आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराये गये कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या –41

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	1611	1210	389	17
2006–07	1151	286	656	225

मांग संख्या –64

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
2005–06	1874	838	778	258
2006–07	899	419	302	176

जनभागीदारी योजना

वित्तीय वर्ष 2000–01 से जनभागीदारी योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों को 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत राशि शासन के अंशदान के रूप में स्वीकृत की जाती है तथा शेष क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत राशि जनभागीदारी से प्राप्त होती है । जनभागीदारी अंशदान के रूप में मानव श्रम अथवा ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों (सामग्रीदान) की गणना की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनाओं अथवा ऐसी योजनाएं जो ग्रामवासियों के लिये उपयोगी हों, ली जाती है। गरीबों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदायों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है ।

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिलों को प्रदाय आवंटन रू. 49.26 करोड़ में से दिसम्बर 2006 तक रू. 73.05 करोड़ (जनभागीदारी की राशि रू. 31.22 करोड़ के व्यय सहित) व्यय हुए । वर्ष 2006–07 में जिलों को आवंटित राशि रू. 56.36 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर, 2006 तक रू. 40.08 करोड़ (जनभागीदारी राशि रू. 17.57 करोड़ के व्यय सहित) व्यय हुए ।

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है ।

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)

(राशि करोड़ रूपये में एवं कार्य संख्या में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर रहे कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2005–06	49.26	2438	1844	586	08
2006–07	56.36	1643	624	851	168

जनभागीदारी योजना के तहत आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराए गए कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या –41

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर रहे कार्य	अप्रारंभ
2005–06	495	418	76	1
2006–07	380	141	220	19

मांग संख्या –64

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर रहे कार्य	अप्रारंभ
2005–06	232	182	50	–
2006–07	128	45	72	11

(स) केन्द्र प्रवर्तित /क्षेत्रीय योजनाऐं

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 से आरम्भ की गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपये के स्थानीय महत्व के निर्माण कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र मे अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया । वर्ष 1998–99 से यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये कर दी गई है । प्रतिवर्ष, प्रति सांसद 2.00 करोड़ रूपये के मान से, आवंटन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश सीधे भारत सरकार से जिलों को प्राप्त होते हैं । राज्य शासन द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ ही योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कार्यो की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है ।

प्रदेश में, वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :–

(दिसम्बर 2006 की स्थिति)

(राशि करोड़ रूपये में .कार्य संख्या में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर रहे कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6
2005–06	74.00	5003	3386	1382	235
2006–07	37.00	2347	609	1372	366

भाग –4

प्रशासनिक विषय : निरंक

भाग–5

अभिनव योजना : निरंक

भाग–6

प्रकाशन : निरंक

भाग–7

- 11 वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के एवं वार्षिक योजना 2007–08 के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है जो क्रमशः रूपये 69338.00 तथा रूपये 11561.00 करोड़ की बनायी जा रही है ।

- जनभागीदारी योजना के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है । अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में योजना राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनभागीदारी नियमों में संशोधन किया गया । अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों क्षेत्रों में अब 75 प्रतिशत राशि शासन के अंशदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

- चालू वर्ष में, 8153 कार्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये, जिनमें से 1661 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, 3912 कार्य प्रगति पर हैं, 2580 कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया में हैं ।

- जनभागीदारी योजना के तहत चालू वर्ष में उपलब्ध कराये गये कुल आवंटन रू. 56.36 करोड़ के तहत 1643 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 624 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 851 कार्य प्रगति पर है, तथा 168 आरंभ कराने की प्रक्रिया में है ।

- विकास की यात्रा सतत् प्रक्रिया है जिसमें जनभागीदारी के माध्यम से जनता के सहयोग व सक्रिय भागीदारी एवं जागरूकता से विकास में गति आई है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

अध्याय – 3

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

भाग – 1

विभागीय संरचना :

राज्य शासन के आदेशानुसार 30 प्रतिशत कटौती योजना के अन्तर्गत पद समाप्त होने के पश्चात राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को सम्पादित करने हेतु मुख्यालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है। संचालनालय में मुख्यालय स्तर पर, जिलों तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट**–तीन में दर्शाया गया है ।

विभागीय पदोन्नतियाँ :

दिनांक 01–12–2005 से 30–11–06 की अवधि में तृतीय श्रेणी में मात्र एक कर्मचारी की पदोन्नति हुई है।

विभागीय नियुक्तियाँ :

दिनांक 01–12–2005 से 30–11–2006 की अवधि में अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग की पूर्ति के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के 2 अभ्यार्थियों की नियुक्ति की गई एवं एक अन्वेषक की तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की गई है ।

विभागीय जाँच :

विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कार्यपालिक वर्ग का एक, तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग का एक तथा चतुर्थ श्रेणी का एक प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है ।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

दिनांक 31–12–06 तक 68 न्यायालयीन प्रकरणों में से 66 प्रकरणों में जबावदावा प्रेषित किया जा चुका है, तथा 2 प्रकरणों में जबाबदावा प्रेषित करना शेष है। 4 प्रकरणों पर निर्णय हो चुका है । माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार शासन/विभागाध्यक्ष व्दारा कार्यवाही की जा रही है । एक अवमानना का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,

ग्वालियर में विचाराधीन है । संबंधित प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में शासन की ओर से एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई है ।

स्थानान्तरण –

दिनांक 1–4–2006 से 31–12–2006 की स्थिति में 8 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 7 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 37 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक संवर्ग 9 तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय संवर्ग तथा 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ।

संसदीय एवं विधि विषयक कार्य की जानकारी –

वर्ष 2006 में 10 विधान सभा प्रश्न प्राप्त हुये थे, जिनमें 8, तारांकित एवं 2 अतारांकित प्रश्न थे, दस विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये । कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर, एवं आश्वासन लंबित नही है ।

वेबसाइट –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रोग्रामर को विभाग का वेब मैनेजर घोषित किया गया है । विभाग की वेब साईट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है । हाल ही में सांसद निधि से संबंधित जानकारी तथा विभाग का गत वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन भी प्रदर्शित किया गया है । विभाग की वेब साईट का Address : http:\\www.mp.nic.in\des है ।

अधीनस्थ कार्यालय –

21 सितम्बर, 2001 से राज्य शासन द्वारा जिला योजना एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों को एकीकृत कर जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय घोषित किया है । जिसके अधीन जिलों के जनपदों में खण्डस्तर अन्वेषक कार्यरत है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट–तीन** में दर्शाया गया है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व –

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समंकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है । शासन के विभिन्न

विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना एवं विकास योजनाओं के लिये महत्वपूर्ण सांख्यिकी को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी इसी संचालनालय का है । उपरोक्त कार्यों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी/शीर्षस्थ अभिकरण घोषित किया है ।

राज्य शासन ने संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) मध्यप्रदेश का दायित्व भी सौंपा है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के कार्य एवं गतिविधियां –

(I) सामान्य जानकारी –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों संबंधी आधारभूत समंकों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है । राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा चाहे गये सर्वेक्षण / मूल्यांकन / अध्ययनों का संपादन करना भी संचालनालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं । इसके साथ ही राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी इसी संचालनालय का है । सांख्यिकी संकलन से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियिम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953
2. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं उसके अंतर्गत स्थापित नियम
3. मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999

''नोडल'' दायित्वों के अंतर्गत संचालनालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्धारण, सांख्यिकी संकलन करने तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये विभिन्न विभागों के राज्य, जिला तथा जनपद स्तरीय सांख्यिकी तंत्र के समंक संकलन, सारणीयन, समंक प्रकाशन के बारे में आवश्यक परामर्श देने का कार्य किया जाता है । योजनाओं के सविन्यास हेतु समय–समय पर राज्य शासन की सांख्यिकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों के सांख्यिकी तंत्र द्वारा उपयोग में लाये जा रहे प्रपत्रों में सुधार हेतु सुझाव देने का दायित्व भी संचालनालय को सौंपा गया है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, महारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) तथा योजना आयोग के अनुदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का संकलन, संधारण, निर्धारित प्रारूपों में प्रकाशनों को जारी करना, राष्ट्रीय स्तर की सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा सर्वेक्षण संपादित करना तथा अन्य समाजार्थिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययनों को प्रतिपादित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं ।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा सुझाई गई कार्य पद्धति के अनुसार राज्य की अर्थ व्यवस्था को दर्शाने वाले राज्यीय आय (शुद्ध/सकल घरेलू उत्पाद) के अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाकर प्रशासकों, योजनाविदों, नीति निर्माताओं तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराई जाना है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2006–2007 की वार्षिक योजना का वित्तीय प्रावधान रूपये 21.77 लाख रखा गया है, जिसमें (अ) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन (ब) संगणक सेवाएं (स) जिला सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा (द) सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण इत्यादि योजनाएं सम्मिलित की गईं हैं। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) हेतु 340.00 लाख रूपये एवं वार्षिक योजना 2007–08 हेतु 68.00 लाख रूपये के प्रस्ताव राज्य योजना मंडल को भेजे गये।

(II) संचालनालय के प्रमुख कार्य एवं विशेषताएं

1. राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन –

राज्य की समाजार्थिक स्थिति और उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ''मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण'' नामक प्रकाशन में किया जाता है । इस प्रकाशन के लिये संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्यीय अर्थव्यवस्था (राज्यीय आय), कृषि उत्पादन, पशुपालन एवं दुग्ध, मत्स्य विकास, वानिकी, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास आदि से सम्बंधित विकासात्मक गतिविधियों/उपलब्धियों की जानकारी का समावेश किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य शासन के आयव्ययक की समीक्षा, आलेख एवं तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत की जाती है । वर्ष 2006–07 का प्रकाशन विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया है ।

2. राज्यीय आय के अनुमान

राज्य की अर्थव्यवस्था के उद्योग–समूहवार विश्लेषण में क्षेत्रीय लेखा सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है । राज्य के समाजार्थिक क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था एवं विकास के स्तर के मूल्यांकन के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ही एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं, साथ ही यह सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था के नियंत्रण एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठोस आधार है । राज्य की अर्थ व्यवस्था का पूर्ण एवं सापेक्ष निष्पादन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है । राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण राष्ट्र एवं राज्यों के लिये सुझाई गई कार्य पद्धति के अनुसार की जाती है । अनुमानों का वित्त आयोग एवं योजना आयोग द्वारा भी उपयोग किया जाता है । मध्यप्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 1993–1994 से 2005–2006 तक प्रचलित एवं स्थिर (1993–94) भावों पर तैयार किये गये हैं ।

प्रचलित भावों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2004–2005 में 103056.74 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2005–2006 में 112177.42 करोड़ रूपये अनुमानित है । इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 8.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्थिर (1993–94) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2004–2005 में 60324.46 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2005–2006 में रूपये 63974.26 करोड़ अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष 2005–2006 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

शुद्ध राज्य घरेतु उत्पाद प्रचलित भावों पर वर्ष 2004–2005 में 91432.31 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2005–2006 में 99484.77 करोड़ रूपये अनुमानित है । इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 8.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं । स्थिर (1993–94) भावों पर शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद वर्ष 2004–2005 में 53538.85 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2005–2006 में रूपये 56880.22 करोड़ अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष 2005–2006 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भावों पर वर्ष 2005–2006 में 15012 रूपये रही, जबकि वर्ष 2004–2005 में यह 14069 रूपयें था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 6.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004–05 में 8238 रूपयें से बढ़कर वर्ष 2005–2006 में 8583 रूपयें हो गई, जो कि 4.19 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है ।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर (1993–94) भावों पर वर्ष 1993–94 से 2005–2006 तक की अवधि में 4.11 प्रतिशत तथा इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 1.95 प्रतिशत रही है ।

मध्य प्रदेश का साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

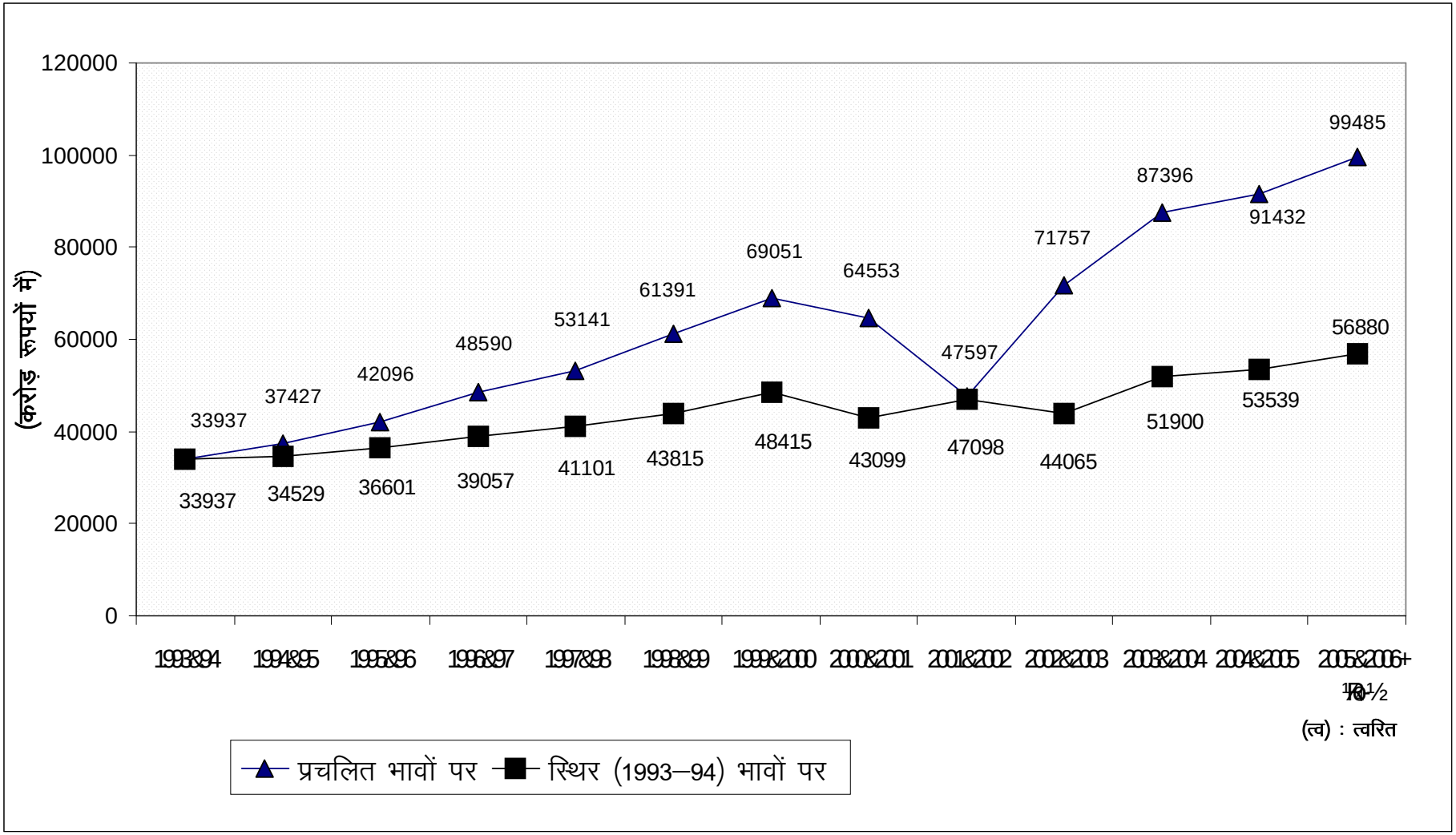

मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

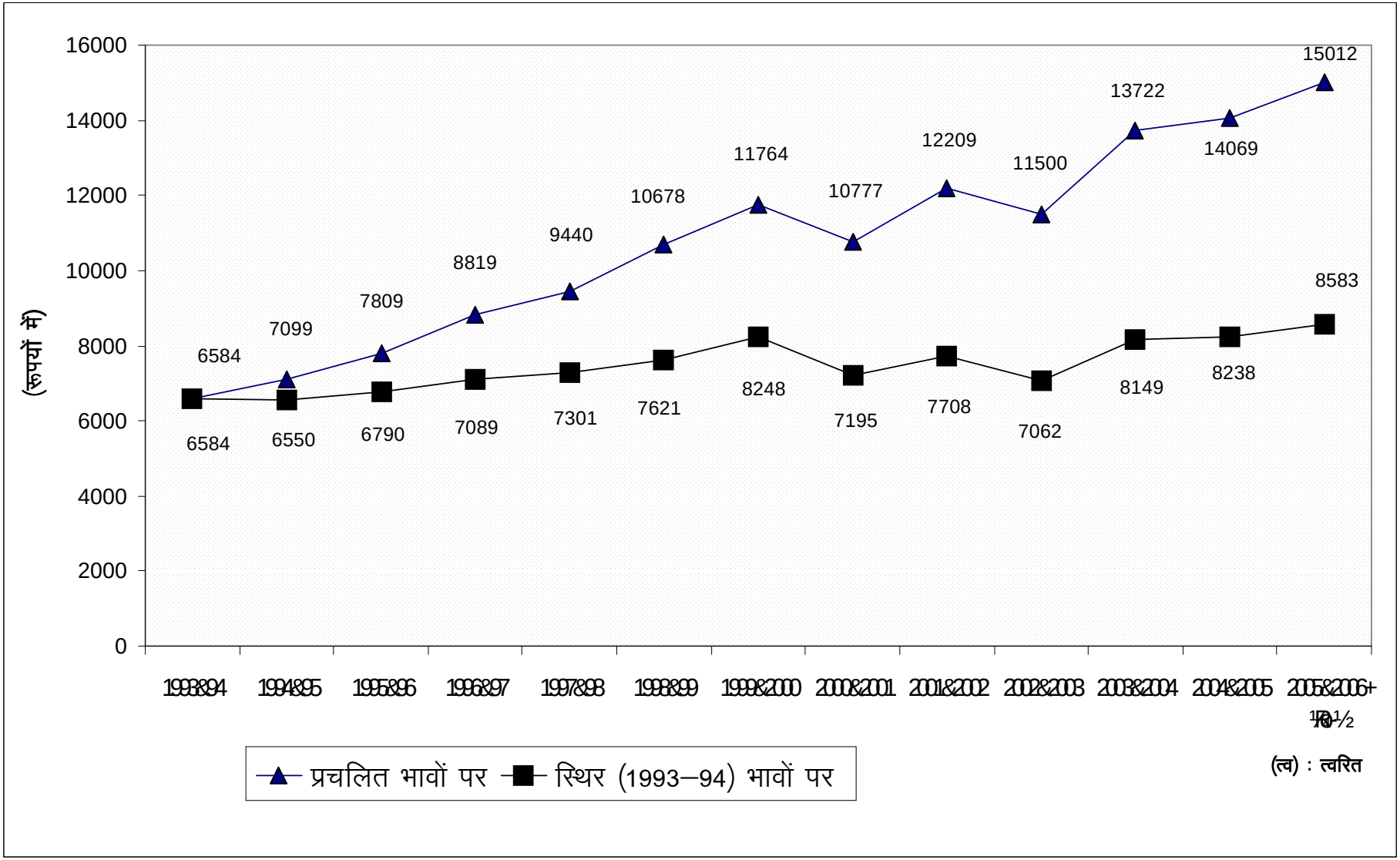

3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण

राज्य शासन के बजट लेखों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण में शासन के संव्यवहारों को नये सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे इन संव्यवहारों के आर्थिक महत्व का आंकलन किया जा सके । आर्थिक वर्गीकरण राज्य शासन के व्यय तथा प्राप्तियों को आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्रदर्शित करता है, जो कि अर्थव्यवस्था पर शासन के संव्यवहारों के सामान्य प्रभाव को विश्लेषण करने के लिये महत्वपूर्ण है । उद्देश्यवार वर्गीकरण शासन के व्यय को उसके प्रमुख उद्देश्यानुसार दर्शाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि । इन दोनों को मिलाने से आर्थिक सह–उद्देश्यवार वर्गीकरण बनता है । इस प्रकार का वर्गीकरण यह दर्शाता है कि एक विशेष उद्देश्य जैसे शिक्षा के लिये व्यय को कैसे आर्थिक श्रेणी में बाँटा जाता है तथा यह भी दर्शाता है कि एक विशेष आर्थिक श्रेणी, जैसे पूंजी निर्माण में व्यय को कैसे विभिन्न उद्देश्यों या प्रदाय की गई लोक सेवाओं में आवंटित किया गया है । विकास के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम संभव विधि में व्यय की योजना बनाते समय, आर्थिक सह–उद्देश्यवार वर्गीकरण नीति निर्माणकर्ताओं के लिये बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ।

4. सर्वेक्षण कार्य

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिये समय–समय पर सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है । राज्य शासन या केन्द्रीय शासन द्वारा सर्वेक्षण/मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा ।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न सर्वेक्षण कार्यक्रमों में केन्द्रीय शासन के समान न्यादर्श आधार पर, मध्य प्रदेश भी भाग ले रहा है । जुलाई 2005 से जून 2006 तक 62 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया, जिसके अन्तर्गत परिवार उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगारी व विनिर्माण उद्यमों पर ग्रामीण न्यादर्श 216 एवं नगरीय न्यादर्श 296 कुल 512 न्यादर्शो का सर्वेक्षण किया गया ।

जुलाई 2006 से 63 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि जून 2007 तक किया जावेगा । 63 वें दौर में ग्रामीण न्यादर्शो की संख्या 184 एवं नगरीय न्यादर्शो की संख्या 408 है इस प्रकार कुल 592 न्यादर्श है । उक्त दौर में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, एवं सेवा क्षेत्र उद्यम (व्यापार को छोड़कर) पर सर्वेक्षण किया जा रहा है । जुलाई 2006 में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के लिये सेमिनार आयोजित किया गया ।

मध्यप्रदेश राज्य शासन के आय–व्ययक का उद्देश्यवार वर्गीकरण

2004–2005 (लेखा)

(प्रतिशत)

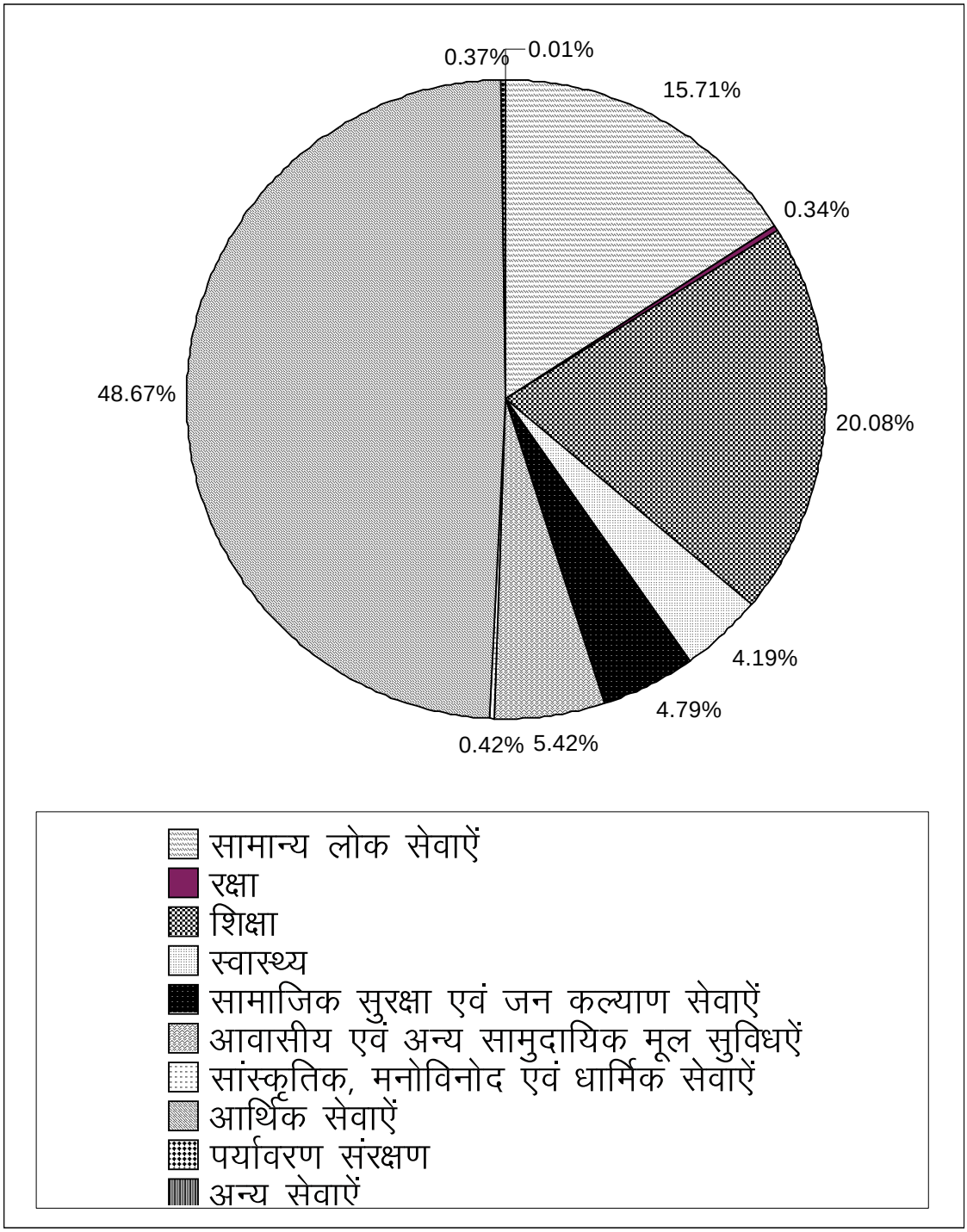

5. जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य

महारजिस्ट्रार भारत शासन के द्वारा जन्म–मृत्यु अधिनियम, 1969 के अधीन जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य कराया जा रहा है । इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (म.प्र) नियम, 1973 बनाये गये थे, जिसके अनुसार 1 नवम्बर, 1974 से जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य राज्य में संपादित हो रहा था, किन्तु भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन की नवीन व्यवस्था 1–1–2000 से प्रारंभ की गई, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य म.प्र. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के अनुसार संपादित किया जा रहा है । प्रदेश में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) बनाया गया है, जिला स्तर पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों को जिला रजिस्ट्रार का दायित्व सौंपा गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1–1–2004 से जन्म–मृत्यु पंजीयन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य वर्तमान में 22619 ग्राम पंचायतों तथा 313 जनपद पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रजिस्ट्रार एवं पंचायत सचिव/कर्मी को उप–रजिस्ट्रार घोषित किया गया है । मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूर्ववत ही है । जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं केन्टोनमेंट बोर्ड में किया जाता है । शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाईयों की संख्या 351 है । इस प्रकार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयां मिलाकर कुल 23283 रजिस्ट्रीकरण इकाईयां कार्यरत है ।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु घोषित उप रजिस्ट्रारों के दायित्वों में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें (पत्र क्रमांक 6790 ए दिनांक 28.10.2006) ग्राम पंचायत क्षेत्र में जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (1)(2) एवं (3) के अन्तर्गत सभी घटित जन्म–मृत्यु घटनाओं का पंजीयन करने का दायित्व सौंपा गया है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ–10–130/2006/23 / यो.आ.एवं सां. दिनांक 24–11–2006 द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 9(2) के प्रावधानों के अंतर्गत 30 दिन के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उनके क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा जारी करने के लिये अधिकृत किया गया ।

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक 2447/2006 भोपाल दिनांक 24.11.2006 के द्वारा जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 13(2) एवं मध्यप्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 9(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिन के पश्चात किन्तु 1 वर्ष के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन हेतु शपथ पत्र राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किये जाने के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये हल्का ग्राम पटवारी को उनके कार्यक्षेत्र के लिये प्राधिकृत किया गया।

दिनांक 1.1.2004 से नवीन पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस समिति में अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारी भी नामांकित है। इस समिति का मुख्य कार्य समय–समय पर जिले में जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य की समीक्षा करना तथा इस कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

पंजीयन कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे है । इसी संदर्भ में वर्ष 2005 में पंजीयन इकाईयों का सघन निरीक्षण किया गया। जिला/जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण एवं जनजागृति हेतु प्रचार–प्रसार कार्य किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म पंजीयन में 4.70 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन में 0.66 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन :

प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी पंजीयन इकाईयों में वर्ष 2005 में दर्ज जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4
जन्म	553190	474726	1027916
मृत्यु	196032	114267	310299
शिशु मृत्यु	11583	4311	15894

मध्यप्रदेश में जन्म एवं मृत्यु दर :

वर्ष	जन्म दर (प्रति हजार)	
	ग्रामीण	नगरीय
2001	32.9	23.1
2002	32.3	22.7
2003	32.1	22.5
2004	32.0	22.6
2005	31.6	22.0

मृत्यु दर :

वर्ष	मृत्यु दर (प्रति हजार)	
	ग्रामीण	नगरीय
2001	10.8	7.2
2002	10.5	7.2
2003	10.4	7.1
2004	10.1	6.4
2005	9.8	6.1

वर्ष 2006 में अतिरिक्त रूप से जनपद पंचायत एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष में आयोजित महत्वपूर्ण बैठके निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 7.4.2006 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2. दिनांक 22.4.2006 को माननीय मंत्री जी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की अध्यक्षता में जन्म–मृत्यु पंजीयन के संबंध में जिला रजिस्ट्रारों एवं चयनित ग्रामीण रजिस्ट्रारों की समीक्षा बैठक भोपाल में आयोजित की गई।

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र

सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत जन्म–मृत्यु घटनाओं के पंजीयन के साथ ही मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र, अधिनियम के तहत अस्पतालों में घटित मृत्यु की घटनाओं के लिये चिकित्सकों द्वारा जारी करना अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2005 में जिलों से प्राप्त 22.5 हजार प्रमाण पत्रों पर मृत्यु के कारणों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार कोडिंग कर संकलित जानकारी तैयार की गई।

मध्यप्रदेश में जन्म एवं मृत्यु दर (प्रति हजार)

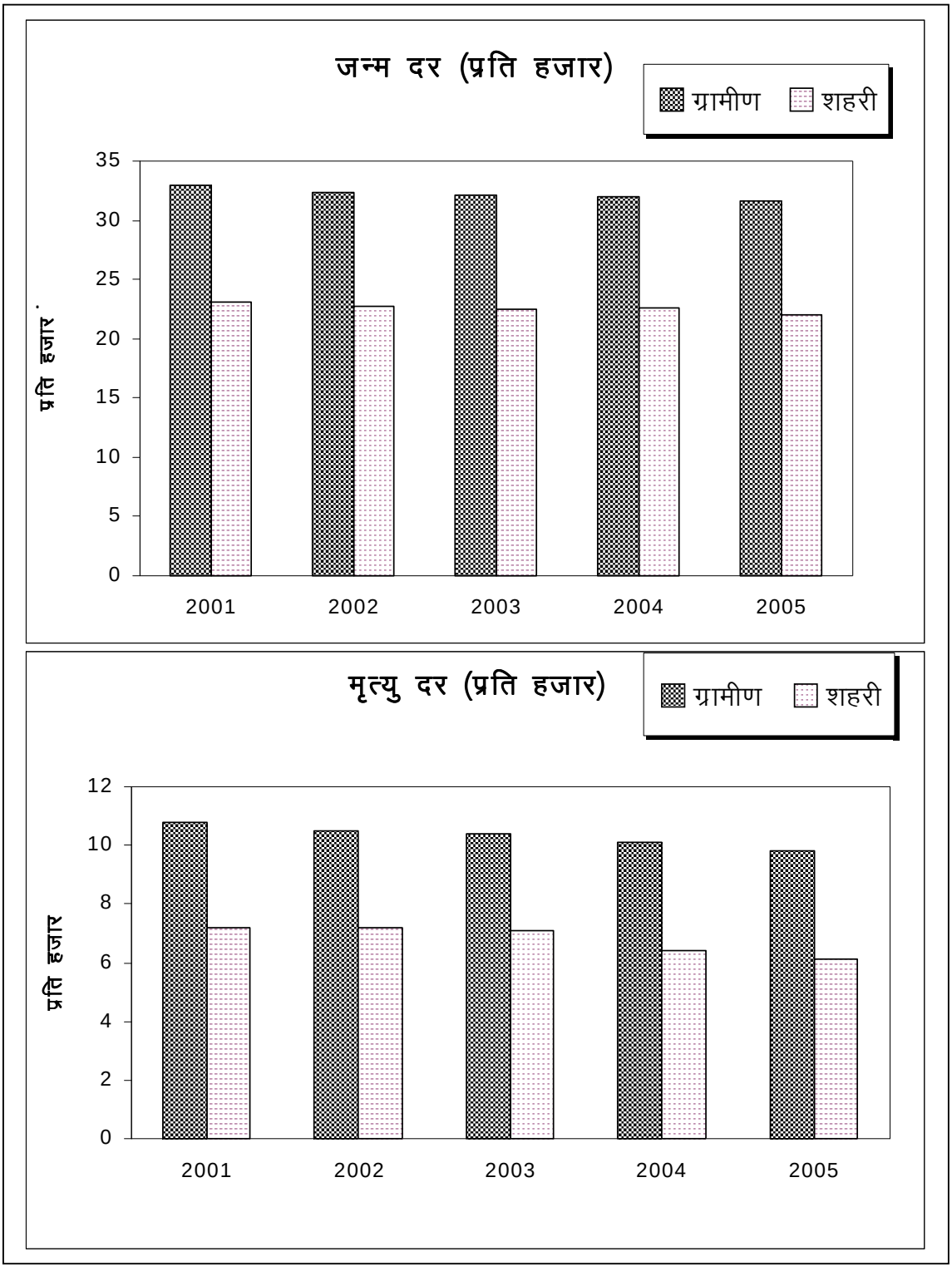

6. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की स्थिति

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्षों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) में कार्यरत वेतन भोगियों को सम्मिलित किया गया है । गणना की संदर्भ अवधि 31 मार्च है ।

(31 मार्च की स्थिति)

क्र.	प्रशासनिक क्षेत्र	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय विभाग (नियमित)	498929	494131	486979	472062
2	राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध शासकीय संस्थान	94875	92993	91278	83010
3	नगरीय स्थानीय निकाय	63207	66091	65264	66086
4	ग्रामीण स्थानीय निकाय	89709	94296	96934	101280
5	विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1846	1810	1923	1946
6	विश्वविद्यालय	8820	8947	9559	9436
	योग	**757386**	**758268**	**751937**	**733820**

7. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (जनवरी, 2006 से) 2001=100 पर राज्य के चार केन्द्रों यथा – भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं छिन्दवाड़ा के साथ–साथ अखिल भारत के तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986–87=100) राज्य के लिये लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1984–85=100) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष जनवरी, 2006 से वर्ष 2001=100 हो गया है । मध्यप्रदेश राज्य के चार केन्द्रों यथा – भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं छिन्दवाड़ा के साथ–साथ अखिल भारत के लिये भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जाते हैं । मध्यप्रदेश राज्य के इन चार केन्द्रों के सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2006 (9 माह का औसत) सबसे अधिक सूचकांक 126 भोपाल एवं जबलपुर केन्द्र का रहा । खाद्य समूह के सूचकांक वर्ष 2006 (9 माह का औसत) में सबसे अधिक सूचकांक 123 भोपाल एवं छिन्दवाड़ा केन्द्रों का रहा जबकि इसी अवधि में सबसे कम सूचकांक 120 इन्दौर केन्द्र का रहा । अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2006 (9 माह का औसत) सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 121 एवं खाद्य समूह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 119 आंका गया ।

शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1984–85=100) राज्य के चार केन्द्रों यथा – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के साथ–साथ अखिल भारत के लिये केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये जाते हैं । इन सूचकांकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2005 की अपेक्षा वर्ष 2006 (9 माह का औसत) में राज्य के चार केन्द्रों एवं अखिल भारत स्तर पर भी सूचकांकों में वृद्वि परिलक्षित हुई है । इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि भोपाल केन्द्र में 8.6 प्रतिशत की एवं सबसे कम वृद्धि 4.7 प्रतिशत की जबलपुर केन्द्र में देखी गई । इस अवधि में उक्त केन्द्रों का सूचकांक वर्ष 2006 (9 माह का औसत) में क्रमशः 444 एवं 419 रहा । अखिल भारत स्तर पर भी सूचकांकों में वृद्धि परिलक्षित हुई । इस अवधि में शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के सूचकांक में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सूचकांक गत् वर्ष के 451 से बढ़कर 472 हो गया ।

लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986–87=100) तैयार किये जाते हैं । यह सूचकांक खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते है । उक्त सूचकांकों के अंतर्गत वर्ष 2005 की अपेक्षा वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांक की तुलना में अखिल भारत स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांक में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम रही है । इस अवधि में राज्य के कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूहों के सूचकांकों में गत् वर्ष से वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इन समूहों के सूचकांक गत् वर्ष के 338 से बढ़कर वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में 368 हो गए । इसी अवधि में कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह के सूचकांक में गत् वर्ष से वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में क्रमशः 7.4 एवं 6.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इन समूहों के सूचकांक गत् वर्ष के 340 एवं 346 से बढ़कर वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में क्रमशः 365 एवं 370 हो गए । अखिल भारत स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह सूचकांक में गत् वर्ष से वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में क्रमशः 5.7 एवं 5.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और सूचकांक क्रमशः 368 एवं 370 रहे । इसी अवधि में कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2006 (10 माह का औसत) में क्रमशः 6.2 एवं 6.2 प्रतिशत की वृद्धि रही और इन दोनों समूहों के सूचकांक क्रमशः 361 एवं 362 रहे ।

8. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण :

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार की वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की क्षेत्रीय इकायों से प्राप्त अनुसूचियों के परिनिरीक्षण उपरान्त औद्योगिक समंको का उद्योग समूह अनुसार जिलेवार संकलन एवं संग्रहण कर उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण **"Annual Survey of Industries** नामक प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित किया गया।

राज्यीय आय के अनुमान तैयार करने के लिए कुल कर्मी, कुल कर्मचारी, कुल लागत, कुल निर्गत, मूल्य ह्रास एवं शुद्ध आवर्धित मूल्य के समंक तैयार कर राज्यीय आय संभाग को प्रदाय किये गये । वर्ष 2003–2004 के प्रकाशन हेतु जानकारी को संग्रहित, सारणीकृत एवं कम्प्युटराईजेशन कर प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।

9. महिला नीति :

राज्य की महिला नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध–शासकीय संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालय आदि में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ें संकलित किये जाते हैं । जन्म के समय लिंगानुपात की जानकारी में पृथक–पृथक लड़के/लड़कियों की जानकारी संकलित की जाती है। संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन का महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित किया जाता है, इसके अंतर्गत जन्म प्रमाण–पत्र में पिता के साथ–साथ माता के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है ।

10. प्रशिक्षण :

वर्ष 2005–2006 के दौरान संचालनालय/जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासन अकादमी भोपाल, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद तथा भारत सरकार के योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिलाये गये।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत शासन द्वारा आयोजित कनिष्ठ प्रमाण–पत्र पाठयक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न विषयों पर संचालनालय के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

सेटेलाईट के माध्यम से समस्त जिला रजिस्ट्रार एवं जन सामान्य को जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण/जानकारी उपलब्ध कराई गई ।

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विषयों पर 79 जिला योजना अधिकारी/ सहायक संचालक/सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को प्रशासन अकादमी म. प्र. भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया ।

11. प्रमुख सांख्यिकी

संचालनालय द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रमुख सांख्यिकी जानकारी संकलित कर संकेतांक तैयार किये जाते हैं । इस प्रयास में राज्य की जनसंख्या, जन्म–मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, कृषि, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य परिवहन एवं संचार क्षेत्र की संकलित चुने हुये एवं अखिल भारत के संकेतांक दिए जाते है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

मद	इकाई	मध्य प्रदेश		भारत	
		वर्ष	संकेतांक	वर्ष	संकेतांक
1	2	4	3	5	6
जनसंख्या					
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	जनगणना 2001	196	जनगणना 2001	313
पुरूष स्त्री अनुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं)	संख्या	2001	919	2001	933
दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर	प्रतिशत	1991–2001	24.3	1991–2001	21.3
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	2001	73.5	2001	72.2
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमान्त कार्य)	प्रतिशत	2001	42.7	2001	39.1
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	2001	37.2	2001	31.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	2001	15.2	2001	16.2
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्य	प्रतिशत	2001	20.3	2001	8.2
साक्षरता					
कुल साक्षर	प्रतिशत	2001	63.7	2001	64.8
पुरूष	प्रतिशत	2001	76.1	2001	75.3
स्त्री	प्रतिशत	2001	50.3	2001	53.7
ग्रामीण	प्रतिशत	2001	57.8	2001	58.7
नगरीय	प्रतिशत	2001	79.4	2001	79.9
जीवनांक (न्यादर्श पंजीयन)					
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	2005	29.4	2005	23.8
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	2005	9.0	2005	7.6
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	2005	76	2005	58
प्रति व्यक्ति आय					
प्रचलित भावों पर	रूपये	2005–06	15012	2004–05	23241
स्थिर (1993–94) भावों पर	रूपये	2005–06	8538	2004–05	12416

मद	इकाई	मध्य प्रदेश		भारत	
		वर्ष	संकेतांक	वर्ष	संकेतांक
1	2	4	3	5	6
कृषि एवं सिंचाई					
प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन	किलोग्राम	2004–2005	219.1	2003–2004 (प्रा.)	199.0
कृषि गहनता	प्रतिशत	2004–2005	135	2000–2001 (प्रा.)	126
कुल बोये गये क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र	प्रतिशत	2004–2005 (प्रा.)	74.3	–''–	88.8
शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	प्रतिशत	2004–2005	40.1	–''–	32.9
प्रति हेक्टर फसली क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपयोग	किलोग्राम	2003–2004	55.0	2003–2004 (प्रा.)	89.8
विद्युत					
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	कि. वा. घंटे	2005–2006	270 (प्रा.)	2003–2004	390
कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्राम (1991 जनगणना)	प्रतिशत	2005–2006	97 (प्रा.)	2003–2004	84
बैंक					
प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक/शाखाएं	संख्या	31 मार्च, 2006	5	31, मार्च 2006	6
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	–''–	8378	–''–	18906
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	–''–	5027	–''–	13707
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	–''–	60.0	–''–	72.5
परिवहन एवं संचार					
अ.परिवहन					
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल सड़कों की लम्बाई	कि. मी.	31 मार्च 2006	23 +	31 मार्च 2002	75
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों की लम्बाई	कि. मी.	–''–	19 +	–''–	43
प्रति हजार जनसंख्या पर पंजीकृत वाहन	संख्या	–''–	70	31 मार्च, 2003	61
ब. संचार					
प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या	संख्या	31 मार्च 2006	7951	2004–05	7008
प्रति हजार जनसंख्या पर दूरभाष	संख्या		28*	2003-04	71

(प्रा.) = प्रावधिक (त्व.) = त्वरित

* = सेलुलर डब्लू.एल.एल. कनेक्शन सहित । + = लोक निर्माण विभाग की सड़कें ।

टीप : म. प्र. एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्षों की अनुमानित जनसंख्या एवं जनगणना 2001 का उपयोग किया गया है ।

भाग – 2

बजट विहंगावलोकन –

आलोच्य वर्ष 2006–07 में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की विभिन्न सांख्यिकी गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु आयोजनेत्तर बजट प्रावधान रूपये 1972.25 लाख रखा गया है । इसके अतिरिक्त आयोजना शीर्ष में राज्य आयोजनान्तर्गत पाँच सांख्यिकी योजनाओं हेतु रूपये 21.77 लाख स्वीकृत है।

संचालनालय की वर्ष 2006–07के बजट संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

(लाख रूपयो में)

क्र	योजना शीर्ष	2006–07			
		स्वीकृत बजट प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान (प्रस्तावित)	अनुमानित व्यय (31–12–06) की स्थिति	बजट प्रावधान 2007–08 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या – 31 शीर्ष – 3454					
अ– आयोजनेत्तर		**1972.25**	**2551.23**	**1130.00**	**2113.30**
योग अ– आयोजनेत्तर		**1972.25**	**2551.23**	**1130.0.**	**2113.30**
	ब– राज्य आयोजना		0		
1	6562– जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	10.00	10.00	0.763	30.00
2	6564– जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	1.00	1.00	–	12.00
3	6293– सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.00	1.50	0.23	2.00
4	8740– जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	2.27	2.50	1.903	3.80
5	8808– सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	1.00	–	20.20
6	4273– संगणक सेवाएँ	6.40	6.40	3.333	आयोजनेत्तर मदमेंसम्मिलित किया जाना प्रस्तावति है
	योग (ब) आयोजना	**21.67**	**22.40**	**6.229**	**68.00**
	भारित	0.10	0.10	–	–
	योग (अ) + (ब)	**1994.02**	**2573.63**	**1136.229**	**2181.30**
	भारित	**0.10**	**0.10**	–	**0.10**

भाग – 3

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं –

अ. राज्य योजनाएं –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जो राज्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाकर उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध करवाई जाना है । राज्य योजनाओं का विवरण तथा गत तीन वर्षों के लिये योजना प्रावधान, बजट एवं व्यय संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

संचालनालय की वर्ष 2006–2007 के बजट संबंधी जानकारी

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2004–2005			वर्ष 2005–2006			वर्ष 2006–2007 (वास्तविक व्यय)		
		योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8740 – जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.94	2.27	2.27	1.903
2	4273 – संगणक सेवायें	6.40	6.40	5.17	6.40	6.40	4.43	6.40	6.40	3.333
	(भारित)	0.10	0.10		0.10	0.10		0.10	0.10	
3	6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	1.00	1.00	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	0.23
4	6562 जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वय	23.00	23.00	9.27	23.00	23.00	12.12	10.00	10.00	0.763
5	6564–जिला सांख्यिकीय कार्यालयों कासुदृढ़ीकरण	1.00	1.00	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	.
6	8808 सूचना प्रौद्योगिकी	–	–	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	–
	योग	**33.50**	**33.50**	**16.44**	**34.50**	**34.50**	**18.49**	**21.77**	**21.77**	**6.229**

(*) **(31–12–2006 की स्थिति)**

ब. केन्द्र क्षेत्र योजना –

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2004–2005			वर्ष 2005–2006			वर्ष 2006–2007		
		योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य (7865)– जन्म–मृत्यु से संबंधित आंकड़ो का सुदृढ़ीकरण	1.69	1.69	–	1.69	1.69	–	1.76	1.76	–
2	(800)– अन्य व्यय 0801 – केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 7866 – 5 वीं आर्थिक गणना	502.42	502.42	56.92	518.90	518.90	378.55	104.42	104.42	25.00 अनुमानित
	योग	**504.11**	**504.11**	**56.92**	**520.59**	**504.11**	**378.55**	**106.18**	**106.18**	**25.00अ**

भाग – 4

सामान्य प्रशासनिक विषय –

(जाँच समितियां, किये गये अध्ययन आदि अंकित किये जावें)

निरंक

भाग – 5

अभिनव योजना

मध्य प्रदेश शासन की अधिकृत वेब साइट पर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई है । सांख्यिकी प्रकाशनों की अद्यतन सूची के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रकाशन भी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं । विभाग से संबंधित नियम, अधिनियम तथा सांसद निधि से संबंधित जानकारियां भी इंटरनेट तथा संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं ।

भाग – 6

विभाग द्वारा प्रकाशित नियमित प्रकाशन

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से नियमित रूप से निकाले गये/प्रगति पर हैं, प्रमुख प्रकाशन निम्नानुसार है :–

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2006–2007

राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति, विकास, और राज्य शासनकी विकासात्मक गतिविधियां/कार्यकलापों की उपलब्धियों के आधार पर यह प्रकाशन संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार कर बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर राज्य की समाजार्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशन में मुख्य रूप से राज्यीय आय, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण, पशुपालन, वानिकी, ऊर्जा, उद्योग, जल संसाधन, बैंक, श्रम एवं रोजगार, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि पर जानकारी का समावेश किया जाता है ।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 31 मार्च, 2006

एक निश्चित तिथि पर प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, श्रेणीवार एवं विभागवार संकलित कर प्रदर्शित की जाती है । अर्द्ध शासकीय एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित जानकारी भी इस प्रकाशन में सम्मिलित की जाती है तथा महिला और पुरूष के नियोजन संबंधी जानकारी को अलग से प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया गया है ।

3. मध्य प्रदेश का आय व्यय संक्षेप में 2007–08

इस प्रकाशन में प्रदेश की आय एवं व्यय का ब्यौरा संक्षिप्त रूप से दिया जाता है, जिससे यह ज्ञात करने में सहायता मिलती है कि राज्य शासन के प्रमुख आय के स्त्रोत कौन–कौन से हैं एवं उस परिप्रेक्ष्य में किन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से व्यय अधिक होता है । मोटे तौर पर यह प्रदेश की आय–व्यय स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण पत्रक है ।

4. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण 2003–2004 (लेखा) तथा 2004–2005 (पुनरीक्षित अनुमान)

राज्य शासन के बजट लेखों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण में शासन के संव्यवहारों को नये सिरे से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, जिसमें इन संव्यवहारों के आर्थिक महत्व का आंकलन किया जा सके । आर्थिक वर्गीकरण में राज्य शासन के व्यय, प्राप्तियों को आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि अर्थव्यवस्था पर सामान्य प्रभावों का विश्लेषण करने के लिये महत्वपूर्ण है । उद्देश्यवार वर्गीकरण शासन के व्यय को उसके प्रमुख उद्देश्यानुसार दर्शाता है जैसे – शिक्षा स्वास्थ्य आदि । इन दोनों को मिलाने से आर्थिक सह–उद्देश्यवार वर्गीकरण बनता है, जो यह दर्शाता है, जैसे शिक्षा के लिये व्यय, को कैसे आर्थिक श्रेणियों में बाँटा जाता है, तथा यह भी दर्शाता है कि एक विशेष आर्थिक श्रेणी, जैसे – पूंजी निर्माण में व्यय को कैसे विभिन्न उद्देश्यों या प्रदाय की गई लोक सेवाओं में आवंटित किया गया है ।

5. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 1993–94 से 2005–2006

राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय) के अनुमान तैयार कर इस प्रकाशन में दिये जाते हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन सहजता से किया जा सके । इस प्रकाशन में प्रचलित एवं स्थिर भावों (1993–94) पर अनुमान तैयार कर प्रकाशित किये जाते हैं । साथ ही प्रतिव्यक्ति आय के संबंध में भी जानकारी दी जाती है । व्यापक औद्योगिक क्षेत्रानुसार भी समंक इस प्रकाशन में दिये जाते हैं ।

6. मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख आंकड़े (फोल्डर) 2006

इस प्रकाशन में विभिन्न समाजार्थिक विषयों पर मध्य प्रदेश राज्य के लिये नवीनतम जानकारी एवं साथ में विकास की गति को दर्शाने के लिये समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

7. मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप 2006

इस प्रकाशन में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी (पाँच वर्षों की) उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन का सहज रूप से आँकलन हो सके । इस प्रकाशन को इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है ।

8. मध्य प्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 1993–94 से 2002–2003 तक

मध्य प्रदेश के सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर तैयार कर प्रकाशित किये जाते हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का आंकलन सहजता से किया जा सकता है । मध्य प्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक का प्रकाशन आलोच्य अवधि में प्रकाशित किया गया है ।

9. मध्यप्रदेश के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक 2002–2003 से 2005–2006

जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक जिले से दूसरे जिले में व्याप्त असंतुलन एवं विकास को दर्शाया जाता है। इस प्रकाशन में अर्थव्यवस्था के लगभग 7 प्रमुख शीर्षो को शामिल किया गया है। प्रकाशन में तथ्यात्मक समंकों के साथ–साथ संकेतकों को दर्शाया गया है ।

10. अर्न्तराज्यीय समाजार्थिक विकास के संकेतांक (द्विभाषी) :

राज्य की अर्थव्यवस्था का अन्य प्रमुख राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ–साथ राज्य की प्रगति/विकास को संकेतांकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रकाशन में अखिल भारत के साथ–साथ 14 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था के प्रमुख शीर्षो के विकास का विश्लेषणात्मक, अध्ययन किया गया है।

11. **वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी, 2005**

वार्षिके जीवनांक सांख्यिकी के अंतर्गत वर्षावधि में जन्म एवं मृत्यु की संख्या, शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, आयु एवं लिंगानुपात की जिलेवार जानकारी का समावेश किया गया है ।

उक्त नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त कुछ तदर्थ प्रकाशन भी मुख्यालय से निकाले गये हैं जो निम्नांकित हैं ।

12. Madhya Pradesh at a Glance, 2006

13. मध्य प्रदेश में कृषि विपणन 2003–2004

14. मध्यप्रदेश के प्रमुख आंकड़े 1956–2005 (पचास वर्ष)

15. मध्यप्रदेश चार्टस और ग्राफ्स 2005 (प्रेस में)

16. जनपदवार सामाजार्थिक विकास संकेतांक 2005–2006 (प्रगति पर)

जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किये जा रहे महत्वपूर्ण प्रकाशन :

17. जिला सांख्यिकी पुस्तिका

18. जिले के प्रमुख आंकड़े

19. जनपद के प्रमुख आंकड़े

20. जिला विकास पुस्तिका

भाग – 7

सारांश –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय महत्वपूर्ण आधारभूत आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के दायित्व को पूर्ण करने हेतु सतत प्रयासरत है। विभिन्न विभागों की पहल पर उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन एवं समाजार्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षणों पर प्रतिवेदन तैयार करता रहा है, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन, शोधकर्ताओं, योजनाविदों एवं नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराई गई । संचालनालय के अधीनस्थ जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भी अपने–अपने क्षेत्र की सांख्यिकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकाशन निकाले गये एवं विकेन्द्रीकृत योजनाओं के लिये आधारभूत सांख्यिकी जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गई ।

इस प्रकार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दायित्व वहन करने में प्रयासरत रहा है।

परिशिष्ट

राज्य योजना मण्डल का स्वरूप

1.	अध्यक्ष	–	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
2.	उपाध्यक्ष	–	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
3.	पदेन सदस्यगण	–	1. प्रभारी मंत्री, योजना, वित्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 2. मुख्य सचिव 3. प्रमुख सचिव, वित्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
4.	सदस्य सचिव	–	प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
5.	अंशकालीन सदस्य	–	राज्य योजना मंडल में अशंकालीन सदस्यों का प्रावधान है ।

राज्य योजना मण्डल के स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
प्रथम श्रेणी					
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित शर्त	1	1	–
2.	सदस्य सचिव	संवर्गीय वेतनमान	1	1	–
3.	अपर सचिव	16400–22400+ विशेष वेतन	1	1	–
4.	अवर सचिव	10000–13500	1	1	–
5.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान	2	2	–
द्वितीय श्रेणी					
6.	सहायक सलाहकार	8000–13500	4	3	1
7.	लेखाधिकारी	8000–13500	1	1	–
8.	प्रशासकीय अधिकारी	6500–10500	1	1	–
तृतीय श्रेणी					
9.	निज सचिव	6500–10500	2	2	–
10.	निज सहायक	5500–9000	3	3	–
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी–3	4500–7000	2	1	1
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500–9000	3	1	2
13.	अन्वेषक	4000–6000	7	7	–
14.	लेखापाल	4500–6000	1	1	–
15.	सहायक ग्रेड–1	4500–7000	2	2	–
16.	सहायक ग्रेड–2	4000–6000	4	4	–
17.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	6	6	–
18.	सुरक्षा गार्ड	3050–4590	4	2	2
19.	वाहन चालक	3050–4590	5	5	–
20.	जमादार/दफतरी	2610–3540	6	6	–
21.	भृत्य	2550–3200	12	12	–
22.	स्वीपर	2550–3200	1	1	–
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	–	1
24.	पार्ट टाईम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	–	–	–
	योग		**71**	**64**	**7**

परिशिष्ट – तीन

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मुख्यालय, जिला स्तर एवं अन्य विभागों में पदस्थ अमले का विवरण

क्र.	पदनाम	मुख्यालय		जिला		योग	भरे पद		
		स्वीकृत	सांख्येतर घोषित पद	स्वीकृत	सांख्येतर घोषित पद		मुख्यालय	जिला	प्रति–नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजपत्रित प्रथम श्रेणी									
1.	संचालक	1	-	-	-	1	-	-	-
2.	संयुक्त संचालक	3	-	-	-	3	3	-	-
3.	उप संचालक / चीफ प्रोग्रामर / जिला योजना अधिकारी	8	-	45	-	53	8	24	3
द्वितीय श्रेणी राजपत्रित									
1.	जिला सांख्यिकी अधिकारी / सहायक संचालक	21	-	45	-	66	11	22	5
2.	प्रोग्रामर	2	-	-	-	2	1	-	-
3.	लेखा अधिकारी	1	-	-	-	1	1	-	-
4.	सहायक संचालक (प्रशाा.)	1	-	-	-	1	1	-	-
तृतीय श्रेणी									
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	102	-	236	-	338	102	200	41
2.	अन्वेषक / खण्ड स्तर अन्वेषक	3	73	357	-	433	76	130	9
3.	संगणक	-	3	-	21	24	3	21	-
4.	सहायक प्रोग्रामर	4	-	-	-	4	4	-	-
5.	अधीक्षक	3	-	-	-	3	-	-	-
6.	सहायक ग्रेड–1	7	-	-	-	7	2	-	-
7.	सहायक ग्रेड–2	11	2	51	3	67	14	46	-
8.	सहायक ग्रेड–3	27	16	96	3	142	43	94	-
9.	केशियर / लेखापाल	-	1	-	-	1	1	-	-
10.	वरिष्ठ निज सहायक	1	-	-	-	1	1	-	-
11.	निज सहायक	1	-	-	-	1	1	-	-
12.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	3	-	-	-	3	2	-	-
13.	शीघ्रलेखक	4	-	9	22	35	3	24	-

क्र.	पदनाम	मुख्यालय		जिला		योग	भरे पद		
		स्वीकृत	सांख्येतर घोषित पद	स्वीकृत	सांख्येतर घोषित पद		मुख्यालय	जिला	प्रति–नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजपत्रित प्रथम श्रेणी									
14.	स्टेनोटायपिस्ट	10	-	7	-	17	5	4	-
15.	पुस्तकाध्यक्ष	1	-	-	-	1	-	-	-
16.	वरिष्ठ कलाकार	-	1	-	-	1	1	-	-
17.	कलाकार	-	1	-	-	1	1	-	-
18.	फोटोग्राफर	-	1	-	-	1	1	-	-
19.	के. पी. ओ./ व्हेरीफायर	-	4	-	-	4	4	-	-
20.	पंचरूम सुपरवाइजर	1	-	-	-	1	-	-	-
21.	वाहन चालक	1	-	38	-	39	1	34	-
चतुर्थ श्रेणी									
1.	सुपर वाईजर	1	-	-	-	1	-	-	-
2.	दफ्तरी	3	-	-	-	3	2	-	-
3.	मशीन मेन	-	1	-	-	1	1	-	-
4.	भृत्य	37	13	96	-	146	50	92	-
आकस्मिकता निधि									
1.	वाटर मेन कम फर्राश/स्वीपर	2	-	-	11	13	-	11	-
2.	चौकीदार	2	-	-	-	2	-	-	-
3.	वाहन चालक	5	-	-	-	5	3	-	-
	योग	**266**	**116**	**980**	**60**	**1422**	**346**	**702**	**58**

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
1	प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा लेखा परीक्षण
2	राज्यीय आय	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना
		2. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
3	औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण
		2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण तथा औद्योगिक अनुसूचियों की परीनिरीक्षा
4	आर्थिक विश्लेषण	1. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास सूचकांक तैयार करना
		2. राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा
		3. आर्थिक प्रज्ञान सांख्यिकी का प्रदर्शन
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
		2. आर्थिक गणना
6	राज्यीय सर्वेक्षण	1. शासन के कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
7	सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना
		2. विभागीय योजनाएं तैयार करना
		3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिये नामांकन एवं अनुवर्तन कार्यवाही

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
8	सामाजिक एवं विविध सांख्ययकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्यायपालिका, पुलिस, अपराध, श्रम रोजगार तथा विविध सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण
		2. मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की गणना
9	पूंजी निर्माण	1. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
		2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण
10	लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययकों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
		2. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण
11	मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा तथा बाजार समाचार अध्ययन
12	सूचना प्रौद्योगिकी एवं समंक सारणीयन	1. समंकों का कम्पयूटरीकरण
		2. संचालनालय के प्रकाशनों पर कम्प्यूटर पर संधारण
13	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 एवं नियम 1999 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन
		2. मृत्यु के कारणों का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र
14	पुस्तकालय	1. आर्थिक, सांख्यिकी तथा सामाजार्थिक सांख्यिकी से संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रखरखाव
15	सांख्यिकी प्रकाशन	1. राज्य स्तरीय नियमित एवं तदर्थ सांख्यिकी प्रकशनों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना
16	जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श देना तथा तकनीकी निरीक्षण
		जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने के उपाय सुझाना